जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 47 संख्याः 168 प्रभात बीकानेर, शनिवार 10 जनवरी, 2026 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रू.

प्रियंका ने पायलट को केरल का मुख्य पर्यवेक्षक काफी सोच समझकर बनवाया है

सोच है कि केरल में के.सी. वेणुगोपाल की दादागिरी से अनावश्यक हानि न हो विधानसभा चुनाव में

- पायलट, प्रियंका गांधी को रिपोर्ट करेंगे तथा अगर सभी नेताओं को समुचित मौका नहीं मिल रहा होगा तो यह बात भी प्रियंका गांधी तक पायलट ही पहुंचायेंगे।
- इसी प्रकार प्रियंका, भूपेश बघेल और डी.के. शिवकुमार को भी पर्यवेक्षक के रूप में असम ले गई हैं। यह दोनों भारी नेता हैं और असम में कांग्रेस नेताओं की आपसी फूट व कांग्रेस की रणनीति संबंधित खबरें ''लीक'' करने की प्रवृत्ति पर भी कुछ नियंत्रण तो लगेगा।
- साथ ही, दोनों नेता, डी.के. शिवकुमार व भूपेश बघेल की चुनाव अभियान में सक्रिय भूमिका रहने से, चुनाव खर्च के लिए पर्यात धन व साधन उपलब्ध कराये जा सकेंगे।
- अगर, कांग्रेस असम चुनाव जीत जाती है तो प्रियंका की राजनीति में चमक तो आएगी ही, राजस्थान की राजनीति पर भी काफी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वेणुगोपाल राजस्थान में गहलोत, डोटासरा व रंधावा को पनपाना चाहते थे, उनका पक्ष लेते हैं तथा पायलट को रोकना चाहते हैं।

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जनवरी। प्रियंका गांधी असम में भाजपा के ताकतवर नेता और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष बनने के बाद, प्रियंका गांधी अब कुछ राज्यों में चुनावी नैरेटिव (विषय वस्तु) पर नियंत्रण करने की दिशा में कदम बढ़ा रही हैं, साथ ही उन्होंने कुछ नेताओं को पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त कर चुनावों और कांग्रेस नेताओं पर निगरानी रखने का भी फैसला किया है। इनमें से कई नेता चुनावों के दौरान दोगला खेल खेलते रहे हैं।

गांधी परिवार के मित्र भंवर जितेन्द्र सिंह का उदाहरण लीजिए, जो असम के प्रभारी हैं। पिछली बार जब वे असम के प्रभारी थे, तब पार्टी बुरी तरह हार गई थी। अब उन्हें फिर से असम का प्रभारी नियुक्त किया गया है, जहां पार्टी सत्ता में वापसी के लिए संघर्ष कर रही है।

दिलचस्प बात यह है कि भंवर जितेन्द्र सिंह और उनकी टीम के बारे में रिपोर्ट्स बहुत सकारात्मक नहीं हैं। पार्टी नेतृत्व तक यह खबर पहुंची है कि उनके एक सहयोगी ने टिकट देने के बदले पैसे लिए थे, जिससे कांग्रेस को काफी नुकसान हुआ। अब प्रियंका यह चाहती हैं कि टिकट वितरण पर उनका पूरा नियंत्रण हो।

इसके साथ ही, प्रियंका ने भूपेश बघेल और डीके शिवकुमार को असम के पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त किया है, ताकि चुनावों के लिए जरूरी फंड्स में कोई समस्या न आए। हेमंत बिस्वा सरमा से मुकाबला करने के लिए कांग्रेस

(शेष पृष्ठ 5 पर)

हाई कोर्ट ने क्रिकेटर द्वारा दुष्कर्म के मामले में जाँच अधिकारी को तलब किया

जयपुर, 9 जनवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म करने से जुड़े मामले में क्रिकेटर यश दयाल के खिलाफ जांच कर रहे अनुसंधान अधिकारी को 19 जनवरी को तलब किया है। जस्टिस प्रवीर भटनागर की एकलपीठ ने यह आदेश यश दयाल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।

अग्रिम जमानत याचिका में कहा गया कि पीड़िता घटना साल 2023 में कानपुर में होना बता रही है, जबकि

- अदालत में क्रिकेटर की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई 19 जनवरी को।

मामला दो साल बाद जयपुर के सांगानेर थाने में दर्ज कराया है। इसके अलावा, पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि घटना के समय वह नाबालिग थी और उसने अपने रिश्तेदार की आईडी से होटल में कमरा बुक कराया था। इसके बावजूद, पुलिस ने उस रिश्तेदार से कोई पूछताछ नहीं की है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता पीड़िता से हमेशा सार्वजनिक जगह पर टीम के अन्य सदस्यों की मौजूदगी में मिला था। यदि पीड़िता के साथ कानपुर में दुष्कर्म हुआ तो उसके बाद वह याचिकाकर्ता के साथ

(शेष पृष्ठ 5 पर)

क्या केन्द्र सरकार हिम्मत दिखाएगी, ममता बनर्जी के खिलाफ कार्यवाही करके?

ममता बनर्जी ने अपराध तो किया है, कल गुरुवार को ईडी की रेड के दौरान सबूत के कागज़ात व कम्प्यूटर आदि इलैक्ट्रॉनिक उपकरण पुलिस की मदद से उठाकर ले जाकर

- ममता बनर्जी ने, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्यवाही हो, उससे पहले शुक्रवार को शहर में बड़ी रैली आयोजित की और प्रचार किया कि केन्द्रीय सरकार ईडी के मार्फत उस कंसल्टैंसी कंपनी पर रेड करके, उनकी पार्टी की चुनावी रणनीति संबंधी प्लान व आंकड़ें चोरी करवाना चाहती थी। अतः उन्होंने वे रणनीति संबंधी कागज़ात, कम्प्यूटर वहाँ से उठाकर अपने कब्जे में किए।
- ईडी ने ममता बनर्जी के अपराध के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा दर्ज करा, पर, ममता बनर्जी के बाहुबलियों ने न्यायालय में भारी भीड़ जमा कर ली तथा ईडी के वकीलों को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने दिया।
- अतः मुकदमे की कार्यवाही आगे नहीं बढ़ सकी और न्यायाधीश को आगे की तारीख देनी पड़ी।
- डर यह है कि जैसे-जैसे चुनाव नज़दीक आता जाएगा, केन्द्रीय सरकार व राज्य सरकार के बीच ऐसे बेतुके मामले और होते रहेंगे।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जनवरी। ममता बनर्जी पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने उस जगह से सबूत और आपत्तिजनक सामग्री चुराई, जहां प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) की टीम अवैध कोयला खनन, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी के लीज क्षेत्र से कोयले की चोरी और उससे मिले पैसों को हवाला के जरिए घुमाने के मामले की जांच के लिए सामग्री इकट्ठा कर रही थी।

सबूत चुराना और उन सामग्रियों, जिन्हें ई.डी. कोयला चोरों के खिलाफ अपने केस के लिए इकट्ठा करना चाह रहा था, को लेकर भाग जाना एक जघन्य अपराध था। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी के गुर्गों ने उस अदालत कक्ष में भी भारी हंगामा किया, जहां ई.डी. राहत पाने के लिए पहुंचा था, जिससे सुनवाई स्थगित करनी पड़ी।

कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी ने ऐसे काम किए हैं, जिनसे राज्य पूरी तरह अराजकता में चला गया है। कानून-व्यवस्था मानो खत्म हो चुकी है और पूरे

(शेष पृष्ठ 5 पर)

आई पैक पर ईडी की रेड, ममता जी की प्रतिक्रिया पर मतभेद हैं कांग्रेस के नेताओं में

कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं और राज्य नेताओं की प्रतिक्रियाएं एकदम उलट हैं

- वरिष्ठ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, जो सुप्रीम कोर्ट के नामचीन वकील भी हैं, ने आई पैक पर रेड करने की ईडी की कार्यवाही की कड़ी निंदा की और कहा कि ईडी अब राजनैतिक सलाहकारों पर भी रेड करने लगा है।
- ज्ञातव्य है कि अभिषेक मनु सिंघवी कई हाई प्रोफाइल मामलों में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ममता बनर्जी की सरकार की पैरवी कर चुके हैं।
- इसके विपरीत पश्चिम बंगाल के पूर्व पीसीसी प्रमुख, 5 बार सांसद रहे अधीर रंजन चौधरी ने ईडी की कार्यवाही पर ममता जी की घबराहट पर निशाना साधा और कहा, इसमें जरूर कोई राज़ की बात है।

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जनवरी। एनफोर्समैंट डायरैक्टोरेट (ईडी) द्वारा इंडिया पॉलिटिकल एक्शन कमेटी (आई पैक) के कार्यालय और आई पैक के सह-संस्थापक प्रतीक जैन के कोलकाता के लॉडन स्ट्रीट स्थित आवास पर एक साथ रेड और तलाशी ऑपरेशन को लेकर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रियाओं में मतभेद दिखाई दे रहा है।

इस मामले में कांग्रेस के वैचारिक मतभेद विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के एक राष्ट्रीय स्तर के नेता और एक राज्य स्तर के नेता की प्रतिक्रिया में स्पष्ट हैं।

वरिष्ठ कांग्रेस नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने आई पैक कार्यालय और उसके सह-संस्थापक प्रतीक जैन आवास पर ईडी की छापेमारी की आलोचना करते हुए एक बयान जारी किया।

(शेष पृष्ठ 5 पर)

'कार्यकर्ता एनसीपी को एकजुट देखना चाहते हैं'

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जनवरी। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा है कि नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के दोनों गुटों के कार्यकर्ता एक होना चाहते हैं और

- एनसीपी के प्रमुख और महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा, दोनों धड़ों के कार्यकर्ता एक होना चाहते हैं और अब पवार परिवार में भी तनाव खत्म हो गया है।

पवार परिवार के भीतर सभी तनाव समाप्त हो गए हैं।

उन्होंने कहा, ''दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता एकजुट होना चाहते हैं। दोनों एनसीपी अब एकजुट हैं। हमारे परिवार

(शेष पृष्ठ 5 पर)

'वर्ष 2025 में प्र.मंत्री मोदी और ट्रंप के बीच 8 बार फोन पर बात हुई'

विदेश मंत्रालय ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिका का दावा झूठा है कि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया इसलिए ट्रेड डील नहीं हुई

- अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटनिक ने कहा कि भारत-अमेरिका व्यापारिक समझौता इसलिए नहीं हो सका, क्योंकि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया था।
- विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गत वर्ष फरवरी से ही दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर वार्ता चल रही है और भारत अभी भी ट्रेड डील में रूचि रखता है।
- भारतीय अधिकारियों ने ट्रंप की इस बात का भी खंडन किया कि प्र.मंत्री मोदी उन्हें ''सर'' कहते हैं। अधिकारियों ने कहा कि मोदी विदेशी राष्ट्र प्रमुखों को ''हिज़ एक्सलैंसी, प्राइम मिनिस्टर या मिस्टर प्रैसिडैंट'' कहते हैं, सर नहीं।

-श्रीनंद झा -
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 9 जनवरी। विदेश मंत्रालय ने आज अमेरिका के वाणिज्य सचिव हावर्ड लटनिक के इस बयान का खंडन किया कि ''भारत-अमेरिका व्यापार समझौता इसलिए नहीं हो पाया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप को फोन नहीं किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, ''2025 में प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप ने आठ बार फोन पर बात की और कई मौकों पर दोनों देश समझौते के काफी करीब भी पहुंचे थे। इस बातचीत का जो वर्णन किया जा रहा है, और जो टिप्पणियां बताई जा रही हैं, वे सही नहीं हैं।'' उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों देश पिछले साल फरवरी से द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं और दोनों पक्षों ने ''एक संतुलित और दोनों के लिए लाभकारी व्यापार समझौता'' करने के लिए कई दौर की बातचीत की है। उन्होंने कहा कि भारत अब भी इस तरह के समझौते को अंतिम रूप देने में रुचि रखता है।

इसी बीच, भारतीय अधिकारियों ने अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के इस दावे का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ''सर'' कहकर संबोधित किया था। अधिकारियों ने कहा कि मोदी वैश्विक नेताओं को संबोधित करते समय एक्सलैंसी, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर या मिस्टर प्रेसिडेंट जैसे सम्मानसूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी के लिए भी ''सर'' शब्द का इस्तेमाल नहीं करते।

इससे पहले, अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने कहा था कि हालांकि अनुबंधों पर बातचीत हो चुकी थी और समझौते का ढांचा भी तैयार था, लेकिन उन्होंने यह भी कहा, ''साफ- साफ कहें तो यह उनका (ट्रंप का) सौदा है। वही इसे अंतिम रूप देंगे। सब कुछ तैयार था, लेकिन आपको मोदी से राष्ट्रपति को फोन करवाना था। वे (भारत) ऐसा

(शेष पृष्ठ 5 पर)

संसद का बजट सत्र 28 से, दो चरणों में होगा

नयी दिल्ली, 09 जनवरी। संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा और दो अप्रैल तक चलेगा।

संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बजट सत्र दो चरणों में होगा। पहला चरण 28 जनवरी से 13

- पहला चरण 28 जनवरी से 13 फरवरी और दूसरा 9 मार्च से 2 अप्रैल तक।

फरवरी तक और दूसरा चरण नौ मार्च से दो अप्रैल तक होगा।

रिजिजू ने अपने पोस्ट में लिखा, ''केन्द्र सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बजट सत्र 2026 के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाने की मंजूरी दी है।''

बजट सत्र के दौरान, पहले दिन दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति

(शेष पृष्ठ 5 पर)

'जोधपुर सेन्ट्रल जेल में न्यायिक हिरासत के दौरान मारे गये कैदी की जांच रिपोर्ट 15 दिन में पेश करें'

हाईकोर्ट ने यह कड़े आदेश देते हुए टिप्पणी की, कि मामले में जांच बडे ही अनौपचारिक रवैये के साथ की जा रही थी, जबकि, पिछले वर्ष जुलाई में ही जांच शीघ्र करने के आदेश दिये गये थे

- अदालत ने कहा कि इस मामले में मृतक के परिजनों ने मोबाईल फोन के कई स्क्रीन शॉट साक्ष्य की तरह पेश किए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जेल के अधिकारी कैदियों से पैसों का लेन-देन कर रहे थे।
- अदालत ने अपने आदेश में टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह लेनदेन किसी कैदी को गैर कानूनी विशेष सुविधा पहुंचाने के लिए या वसूली-हफ्ता लेने के तौर पर किया जा रहा था।
- अदालत ने तथ्यों को देखते हुए कहा कि न्यायिक हिरासत में हुई मृत्यु के इस मामले में यह भी पता लगाना अत्यन्त आवश्यक है कि कैदी उस समय कौनसे सैल में बंद था जब उस पर जानलेवा हमला हुआ, उसके साथ और कौनसे कैदी बंद थे, और उस सैल की निगरानी करना किस जेल अधिकारी की जिम्मेदारी थी।

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर/जोधपुर, 9 जनवरी (कासं)। जोधपुर की ''सेन्ट्रल जेल'' में न्यायिक हिरासत में एक आरोपी की संदिग्ध हत्या के मामले में सुनवाई हुई। चौंकाने वाली बात यह भी है कि उक्त मामले में जुलाई 2025 से न्यायिक जांच भी लंबित थी, जबकि जोधपुर स्थित हाईकोर्ट ने 15 जुलाई 2025 को मामले में जांच शीघ्र पूरा करने के आदेश दिये थे। शुक्रवार को इस मामले में न्यायाधीश फरजन्द अली की अदालत ने सुनवाई के दौरान इस बात पर कठोर टिप्पणी करते हुए कहा, अदालत के कड़े आदेशों के बावजूद पिछले वर्ष 20 दिसम्बर को एक रिपोर्ट पेश की गई। इससे स्पष्ट है कि मामले की जांच बड़ी ही लापरवाही से और अनौपचारिक तरीके के साथ की गई है। अदालत ने आदेश में कहा है कि इस मामले में जांच प्राथमिकता से की जानी चाहिए और जांच अधिकारी अगले 15 दिन में पूरी न्यायिक रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत में इस मामले की अगली तारीख 23 जनवरी तय की है।

दरअसल इस मामले में जोधपुर ''सेन्ट्रल जेल'' में एक छोटे अपराधिक मामले में अपराधी को न्यायिक हिरासत में रखा गया। परंतु शारीरिक उत्पीड़न और मारपीट के कारण कैदी की तबियत बिगड़ गई तो उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि कैदी के शरीर पर कई तरह की गंभीर चोटें थीं, जिनसे काफी रक्त भी बहा था और सूजन भी थी। डॉक्टर ने रिपोर्ट में यह भी बताया कि ये चोटें कैदी को पोस्टमार्टम से करीबन 6 घंटे पहले लगी हैं, यानी जब वह कैदी न्यायिक हिरासत में था, तब ही उस पर जानलेवा हमला हुआ था।

इस मामले में कैदी के परिजनों ने ही अदालत का दरवाजा खटखटाया और याचिकाकर्ता लीला की ओर से अधिवक्ता वासुदेव चरण और अधिवक्ता अभिषेक अखावत पैरवी के लिए पेश हुए थे।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि इस मामले में गंभीरता इससे भी बढ़ जाती है, क्योंकि याचिकाकर्ता के वकीलों ने मोबाइल फोन के 'कई स्क्रीन शॉट' साक्ष्य की तरह पेश किए हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि जेल के अधिकारी कैदियों से पैसों का लेन-देन कर रहे थे। अदालत ने कहा कि यह लेनदेन किसी कैदी को गैर कानूनी विशेष सुविधा पहुंचाने के लिए या वसूली-हफ्ता लेने के तौर पर किया जा रहा था। अदालत ने अपने आदेश में कहा

(शेष पृष्ठ 5 पर)

दिल्ली में सब स्कूल 15 जनवरी तक बंद रहेंगे

नई दिल्ली, 09 जनवरी। दिल्ली में पड़ रही कड़ाके की ठंड, ठंडी हवाओं और घने कोहरे को देखते हुए, शिक्षा निदेशालय ने छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी

- कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे में छात्रों की सुरक्षा के लिये यह निर्णय लिया गया।

सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को 15 जनवरी 2026 तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

यह विंटर ब्रेक 1 जनवरी 2026 से शुरू होकर 15 जनवरी तक चलेगा, जो 2025-26 शैक्षविक सत्र के आधिकारिक कैलेंडर का हिस्सा है। शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि ये छुट्टियां पहले से निर्धारित हैं और राष्ट्रीय राजधानी में जनवरी की शुरुआत में आमतौर पर पड़ने वाली भीषण ठंड, घने